

छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल

पुराना नर्सेस हास्टल, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-2227600, ईमेल - snrc.cg@gmail.com, वेबसाइट – www.cgnrc.org



क्रमांक / रजिस्टरेशन नंबर / 2023/2729

रायपुर दिनांक ०८ / ०८ / २०२३

आदेश

प्रोविजनल प्रमाण पत्र हेतु आवेदन जमा करने के लिये आवश्यक दस्तावेजों की सूची :-

01. आवेदन पत्र ।
 02. 10 वीं / 12 वीं मार्कशीट की छायाप्रति स्वप्रमाणित ।
 03. एम0एस0सी0 नर्सिंग / बी0एस0सी0 नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग के समस्त वर्षों की मार्कशीट की छायाप्रति स्वप्रमाणित ।
 04. जी0एन0एम0 नर्सिंग के समस्त वर्षों की मार्कशीट की छायाप्रति । उक्त कोर्स के अंतिम वर्ष की मार्कशीट नहीं होने की दशा में उक्त कोर्स के अंतिम वर्ष का टेबुलेशन सीट स्वप्रमाणित प्रमाणित मान्य किया जावेगा ।

कारण :-

जी०एन०एम० नर्सिंग का परीक्षा केन्द्र छ०ग० नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल होने के कारण उक्त कोर्स के अंतिम वर्ष के टेबुलेशन छ०ग० नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा आसानी से सत्यापन किया जा सकता है।

05. नियुक्ति विज्ञापन की छायाप्रति स्वप्रमाणित ।
 06. 10 रु. स्टाम्प पेपर का शपथ पत्र ।
 07. पंजीयन नंबर लिस्ट की छायाप्रति स्वप्रमाणित ।
 08. रु.700/- ऑनलाईन पेमेन्ट रिसीव की छायाप्रति ।
 09. A4 साइज का लिफाफा (स्वयं का पता पिन कोड एवं मोबाइल नंबर के साथ)

उपरोक्तानुसार समस्त प्रपत्र जमा नहीं किये जाने पर प्रोविजनल प्रमाण पत्र नहीं बनाया जावेगा । जिसकी जवाबदारी स्वयं अभ्यार्थी की रहेगी ।

नोट :- एम०एस०सी० नर्सिंग / बी०एस०सी० नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग के अंतिम वर्ष के टेबुलेशन मान्य नहीं किया जावेगा । (उपरोक्त कोर्सों के अंतिम वर्ष के मार्कशीट नहीं होने की दशा में उपरोक्त कोर्सों के अंतिम वर्ष का टेबुलेशन सीट की छायाप्रति स्वप्रमाणित अमान्य किया जावेगा ।

कारण :-

- यह कि, उपरोक्त कोर्सों का परीक्षा केन्द्र पंदीनदयाल उपाठ सूति स्वाठा विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़ होने के कारण छोगो नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा उपरोक्त कोर्सों का सत्यापन नहीं किया जा सकता है।
 - यह कि, उपरोक्त कोर्सों के अंतिम वर्ष का टेबुलेशन होने के फलस्वरूप उपरोक्त कोर्सों का परीक्षा परिणाम बदलने की संभावना बनी हैं, जिसका सत्यापन छोगो नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा भी नहीं किया जा सकता है।

राजस्थार
18 Dec

छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल
१५ रायपुर, छ.ग.